राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 9508 दिनांक : 17/12/14

आदेश

सांविधिक आदेश 103/2014 – राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 अध्याय–4क के उपबन्धों के अनुसार मतों को इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से डाले और रिकार्ड किये जाने के प्रावधान विहित किए हुए हैं। उक्त नियमों के नियम 33–ख के खण्ड (क) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और उनके चिन्हों को अन्तर्विष्ट करने वाला मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान यूनिट में लगाया जायेगा। चूंकि उक्त नियमों के नियम 39–क के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जावे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 6314 दिनांक 18.12.2009 (सांविधिक आदेश संख्या 57 / 2009) एवं आदेश क्रमांक 9943 दिनांक 15.02.2010 (सांविधिक आदेश संख्या 65 / 2010) द्वारा ऐसे मतपत्र हेतु प्ररूप विहित किया हुआ है।

राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4(25)एमे / रूल / इले / लीगल / पी आर / 2014 / 1531 दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39–क के उपनियम (2), (4) एवं (5) में "नोटा" (उपर्युक्त में से कोई नहीं) का विकल्प जोड़ने के लिए संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के प्रभाव में आने से पूर्व विहित प्ररूप में संशोधन किया जाना आवश्यक हैं। अतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39–क (1) के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 6314 दिनांक 18.12.2009 (सांविधिक आदेश संख्या 57 / 2009) एवं आदेश क्रमांक 9943 दिनांक 15.02.2010 (सांविधिक आदेश संख्या 65 / 2010) को अधिक्रमित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन एवं पंच, सरपंच के निर्वाचन हेतु मतदान यूनिट मे प्रदर्शित किये जाने वाले मतपत्र का प्ररूप निम्न प्रकार विहित करता है :––

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 460 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 7.50 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. मद संख्या–2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे एक मिलीमीटर की आर–पार मोटी लाईन होगी।
4. मद संख्या–3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक् पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के बाद "नोटा" (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक् पैनल में मुद्रित होगा।
5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी एवं "नोटा" (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल 27.5 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से एक एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं "नोटा" (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से 1 एमएम मोटी लाईन से पृथक् किया जाएगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टयॉ तथा शीट नम्बर मतपत्र के बांयीं और एक आड़े कॉलम (Vertical Coulmn) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आडे कॉलम को क्रम संख्यांक के साथ अभ्यर्थियों के नाम व "नोटा" (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक् किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आवेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् "नोटा" (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नाम समान हैं तो अभ्यर्थियों को उनकी अलग–अलग पहचान के लिए उनके नाम के साथ व्यवसाय / निवास अथवा अन्य विशिष्टियां जोड़ी जावें।
9. जहां चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या "नोटा" (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 या इससे कम हैं वहां अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जावेंगे। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या "नोटा" (उपर्युक्त में से कोई नहीं) हेतु विकल्प सहित 16 से

17/12/14